न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी नागौर
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या /18

वादी
1-जितेन्द्र पुत्र मोतीराम जाति जाट
निवासी हिन्दासकलां तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगणः-
1-मोतीराम पुत्र भागूराम जाति जाट
2-धर्मारामाा पुत्र मोतीराम जाति जाट
3-प्रेमप्रकाश पुत्र मोतीराम जाति जाट
4-बाबुदेवी पुत्री मोतीराम जाति जाट
निवासीगण हिन्दासकलां तहसील रियांबड़ी
5-तहसीलदार रियांबड़ी
6-पटवारी हलका गवारड़ी

<u>दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा अंतर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट 1955</u>

निर्णय

दिनांक :- 07.06.2018

वादी निम्नलिखित वाद पेश करता है :-
1-यह है कि वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है, हिन्दु है व हिन्दु मिताक्षरा विश्वविधालय शाखा बनारस से गर्वन होते है। तथा आपस में पिता पुत्र व पिता पुत्री का रिश्ता है।
2-यह है कि ग्राम हिन्दासकलां की सरहद में स्थित खसरा नंबर 37 रकबा 1.62 हैक्टर,व खसरा नंबर 38 रकबा 1.58 हैक्टर,खसरा नंबर 46 रकबा 0.39 हैक्टर,खसरा नंबर 296/36 रकबा 0.07 हैक्टर,कुल रकबा 3.66 हैक्टर व मौजा हिन्दासकलां की सरहद में खसरा नंबर 40 रकबा 0.45 हैक्टर,प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है। यह आराजीवादी व प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की आराजी है।
3-यह है कि पैरा नंबर 2 में वर्णित आराजी को आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।
4-यह है कि वादी व प्रतिवादी के बीच में मौके पर बंटवारा किया हुआ है। व अलग अलग धोरे व पालियां दी हुई है। व इसी माफिक काश्त व काबिज चले आ रहे है। परंतु खातेदारी में नाम माफिक बंट के नहीं होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी यह बंटवाड़ा व घोषणा का वाद पेश कर रहा है।
5-यह है कि मुतनाजा आराजी का बंटवारा पक्षकारान ने कर लिया है जो इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण ने जो बंटवारा किया जो इस प्रकार से है :-
वादी जितेन्द्र के बंट में :-
मौजा हिन्दासकलां के खसरा नंबर 37 रकबा 1.62 हैक्टर में सें रकबा 0.4000 हैक्टर व खसरा नंबर 38 रकबा 1.58 हैक्टर में सें रकबा 0.4000 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखा गया है।

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 मोतीराम के बंट में :–
मौजा हिन्दासकलां के खसरा नंबर 37 रकबा 1.62 हैक्टर में से रकबा 0.4000 हैक्टर व खसरा नंबर 38 रकबा 1.58 हैक्टर में से रकबा 0.4000 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 2 धर्माराम के बंट में :–
मौजा हिन्दासकलां के खसरा नंबर 37 रकबा 1.62 हैक्टर में से रकबा 0.4000 हैक्टर व खसरा नंबर 38 रकबा 1.58 हैक्टर में से रकबा 0.4000 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 3 प्रेमप्रकाश के बंट में :–
मौजा हिन्दासकलां के खसरा नंबर 37 रकबा 1.62 हैक्टर में से रकबा 0.4200 हैक्टर व खसरा नंबर 38 रकबा 1.58 हैक्टर में से रकबा 0.3800 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना हिस्सा प्रतिवादीगण को त्याग कर देने से इस आराजी मे कोई बंट नही रखा है। इसलिए माफिक बंटवाड़ा कायम कर अलग अलग खातेदारी घोषित की जावें।

6–यह है कि उपरोक्त बताये माफिक पक्षकारान अपने अपने बंट की भूमि पर काश्त व काबिज है। तथा मौके पर अलग अलग सीवें माठे कायम कर ली है। वादी व प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी में माफिक बंट के नहीं होने से वादी भारी परेशानियों को सामना करना पड़ा रहा है।

7–यह है कि उपरोक्त खसरान का बंटवारा जुबानी रूप से पक्षकारान ने कर लिया है। मगर कानूनी रूप से बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है। जिससे अभी तक माफिक बंट के अलग अलग खातेदारी का इन्द्राज नहीं हुआ है। जिससे वादी वादग्रस्त खसरान का बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस करवाने हेतू यह बंटवारा का वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब हेतू तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प लाम्पोलाई में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया गया सुन समझ सही होना स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर व अंगूष्ठ किये गये। बाद पहचान के राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक आराजी है। जिसका बंटवारा आपस में करना चाहता है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। राजीनामा के अनुसार पक्षकारान का बंटवारा कर दिया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का बंटवारा अपने पुत्रो की बीच करवाना चाहते है। भूमि पक्षकारान को विरासत में प्राप्त हुई है। पैतृक भूमि का पुत्रो व पुत्री का समान हक व हिस्सा है।

समस्त विवेचन से वादी का वाद जरिये सहमति के स्वीकार किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के बीच निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है।

वादी जितेन्द्र के बंट में :–
मौजा हिन्दासकलां के खसरा नंबर 37 रकबा 1.62 हैक्टर में से रकबा 0.4000 हैक्टर व खसरा नंबर 38 रकबा 1.58 हैक्टर में से रकबा 0.4000 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखा जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 मोतीराम के बंट में :–
मौजा हिन्दासकलां के खसरा नंबर 37 रकबा 1.62 हैक्टर में से रकबा 0.4000 हैक्टर व खसरा नंबर 38 रकबा 1.58 हैक्टर में से रकबा 0.4000 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखा जाता है।

प्रतिवादी संख्या 2 धर्माराम के बंट में :–

अध्यक्ष
राजस्व लोक अदालत
कैम्प लाम्पोलाई
सियां हडी

Scanned by CamScanner

मौजा हिन्दासकलां के खसरा नंबर 37 रकबा 1.62 हैक्टर में सें रकबा 0.4000 हैक्टर व खसरा नंबर 38 रकबा 1.58 हैक्टर में सें रकबा 0.4000 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखा जाता है।

प्रतिवादी संख्या 3 प्रेमप्रकाश के बंट में :–

मौजा हिन्दासकलां के खसरा नंबर 37 रकबा 1.62 हैक्टर में सें रकबा 0.4200 हैक्टर व खसरा नंबर 38 रकबा 1.58 हैक्टर में सें रकबा 0.3800 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखा जाता है।

प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना हिस्सा प्रतिवादीगण को त्याग कर देने से इस आराजी में कोई बंट नही रखा है।

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार बंटवारा कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः–उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रहन रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत कैम्प लाम्पोलाई

निर्णय दिनांक 07.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प लाम्पोलाई में सुनाया गया ।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत
राजस्व लोक अदालत कैम्प लाम्पोलाई

Scanned by CamScanner